I/183044/2024

संख्या–183044 /XXIV-C-2/2024–49(2)21

प्रेषक,

ब्योमकेश दूबे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 17 जनवरी, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत) में वाणिज्य संकाय भवन की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक–डिग्री विकास/5807/2023–24, दिनांक 05.01.2024 एवं पत्रांक–डिग्री विकास/2950/2023–24, दिनांक 17.08.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत) में वाणिज्य संकाय भवन की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणन की टी0ए0सी0 जनपदस्तरीय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹47.02 लाख (रूपये सैंतालीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त धनराशि को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किंग के रूप में न रखी जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक करते हुए, उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकरी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त तकनीकी औपचारिकतायें विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये सम्पादित की जाय।

5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
9. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जाय एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/ XXVII(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित (समय–समय पर यथासंशोधित), 2017 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
11. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
13. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जाय तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय। विलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारणों से आंगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 में पूंजीगत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/नये भवन निर्माण–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु–02, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित

I/183044/2024

ई0संख्या–I/182926/2024, दिनांक 17/01/2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

Signed by Byomkesh Dubey
Date: 17-01-2024 13:22:45

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

संख्या : 183044 (1)/ XXIV-C-2/2024–49(2)21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अनु0–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)
10. गार्ड फाईल।

Signed by Deepak Kumar
Date: 17-01-2024 16:20:57

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।